अध्याय–XIII
केवल एक गाड़ी पद्धति

13.01. केवल एक गाड़ी पद्धति का प्रयोगः– केवल एक गाड़ी पद्धति के अनुसार गाड़ियां सिर्फ इकहरी (सिंगिल) लाइन की छोटी टर्मिनल शाखाओं पर ही चलाई जा सकती हैं।

13.02. केवल एक गाड़ी पद्धति की आवश्यक बातेः– जहाँ गाड़ियों का संचालन केवल एक गाड़ी पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिस सेक्शन पर वह पद्धति लागू है उस पर एक समय में केवल एक ही गाड़ी रहेगी।

13.03. सेक्शन में प्रवेश करने का प्राधिकारः– ड्राइवर अपनी गाड़ी सेक्शन में तब तक नहीं ले जाएगा जब तक कि उसके पास विशेष अनुदेशों के अधीन निर्धारित प्रस्थान प्राधिकार नहीं है।

स0नि0 13.03 (i) पीतल का पत्ती लगा लकड़ी का डण्डा, जिस पर सम्बन्धित स्टेशनों का नाम प्रदर्शित रहता है, आधार, स्टेशन पर रखा जायेगा।

(ii) उपर के उपनियम (i) में निर्धारित लकड़ी का डण्डा ही गाड़ी के सेक्शन में प्रवेश का एक मात्र प्राधिकार होगा और गाड़ी का ड्राइवर स्टेशन को तब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक कि उसके पास वह लकड़ी का डण्डा न हो।

(iii) किसी गाड़ी को स्टेशन से जाने की अनुमति देने से पूर्व डयूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर लकड़ी का डण्डा गार्ड को देगा जो व्यक्तिगत रूप से इसे गाड़ी के ड्राइवर को सौंपेगा।

(iv) आधार स्टेशन पर गाड़ी के वापस आने पर ड्राइवर लकड़ी के डण्डे को डयूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर का वापस लौटा देगा। स्टेशन मास्टर इसे निरापद अभिरक्षण में रखने के लिए जिम्मेंदार होगा।

(v) लकड़ी का डण्डा डयूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर द्वारा ऊँपर से शीशा जड़े हुए बाक्स में रखा जायेगा जिसमें ताला बन्द रहेगा। चार्ज देते समय स्टेशन डायरी में एक विशिष्ट इन्द्राज कर दिया जायेगा जिसमें डण्डे के यथा स्थान का संकेत रहेगा अर्थात डण्डा इस उद्वेश्य के लिए बने बाक्स में है या गाड़ी के ड्राइवर के पास।

(vi) यदि लकड़ी का डण्डा खो जाये तो डयूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर इसको बदलने के लिए तुरन्त मण्डल परिचालन प्रबन्धक को मामले की रिपोर्ट करेगा। और जब तक दूसरा डण्डा न मिल जाय वह ड्राइवर को हस्तलिपि में एक लिखित प्राधिकार देगा। प्रत्येक गाड़ी के लिए अलग–अलग क्रमिक रूप से नम्बर डाला हुआ लिखित प्राधिकार निम्नलिखित फार्म पर प्रयोग में लाया जायेगा।

द्वारा स्टेशन मास्टर..........................दिनांक..................के लोको पायलट को सेक्शन...............................से ....के लकड़ी के डण्डे के गुम हो जाने से आप.....................................तक जाने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किए जाते हैं। ....पर पहुँचने पर आपको इस प्राधिकार को डयूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को अवश्य सौंप देना होगा।

हस्ताक्षर...

स्टेशन मुहर स्टेशन मास्टर................................

(vii) ड्राइवर से प्राधिकार पा जाने पर आधार स्टेशन का स्टेशन मास्टर इस प्राधिकार को रिकार्ड के लिए गाड़ी के सामान्य अभिलेखों की तरह संचित कर लेगा। आधार स्टेशन का स्टेशन मास्टर गाड़ी को अपने यहाँ चलाने के लिए ऊँपर लिखे निर्धारित फार्म पर एक मांग प्राधिकार जारी करेगा।

(viii) यदि हस्तलिपि में लिखे लिखित प्राधिकार पर गाड़ी चला देने के पश्चात स्टेशन मास्टर को खोया हुआ लकड़ी का डण्डा मिल जाता है तो तदनुरूपी (करेस्पांडिग) गाड़ी के हस्तलिखित प्राधिकार पर आधार स्टेशन पर वापस लौट जाने के बाद इसे फिर से प्रयोग में ले आया जाएगा। यदि हस्तलिपि में लिखित प्राधिकार पर गाड़ी चलाने के पूर्व ही लकड़ी का डण्डा मिल जाता है तो डण्डा प्रयोग में लाया जा सकता है और लिखित प्राधिकार स्टेशन मास्टर द्वारा स्वंय नष्ट कर दिया जायेगा।

(ix) जब खोये हुए लकड़ी की डण्डे की जगह मण्डल परिचालन प्रबन्धक द्वारा दूसरा डण्डा प्रदान किया जाता है तो उसे मूल में भिन्न रखने के लिए उस पर डुप्लीकेट अंकित रहेगा। यदि मूल लकड़ी का डण्डा बाद में मिल जाता है तो उसे प्रयोग में लाया जायेगा और डुप्लीकेट डण्डा मण्डल कार्यालय को लौटा दिया जायेगा। इसके लिए सम्बन्द्व (रिलवेन्ट) इन्द्राज स्टेशन डयरी में कर दिया जायेगा।

CHAPTER XIII
THE ONE TRAIN ONLY SYSTEM

13.01 Use of the One Train Only System:- Trains may be worked on the One Train Only System, only on short terminal branches on the single line.

13.02 Essentials of the One Train Only System:- Where trains are worked on the One Train Only System, only one train shall be on the section on which this system is inforce at one and the same time.

13.03 Authority to enter the section:- A Loco Pilot shall not take his train into the section unless he is in possession of the authority to proceed as prescribed by special instructions.

S.R. 13.03 (i) A wooden staff with brass plate showing the names of the stations to which it refers shall be kept at the base station.

(ii) The wooden staff prescribed in sub-rule (i) above shall be the sole authority for a train to enter the section and the Loco Pilot of a train shall not leave the station until he has this wooden staff in the possession.

(iii) The Station Master on duty shall before allowing a train to leave the station, hand over the wooden staff to the Guard who shall personally handover the same to the Loco Pilot of the train.

(iv) On arrival of the train back at the base station, the Loco Pilot shall return the wooden staff to the Station Master on duty who shall be responsible to keep it in safe custody.

(v) The wooden staff shall be kept under lock and key in a box with a glass top by the Station Master on duty and while making over the charge, a specific entry in the station diary shall be made indicating where the staff is i.e. in the box provided for the purpose or with the Loco Pilot of a train.

(vi) If the wooden staff is lost, the Station Master on duty shall at once report the matter to Divisional Operating Manager for replacement and until the wooden staff is replaced, issue a written authority in manuscript to the Loco Pilot. A separate, serially numbered written authority must be used for each train in the following form :-

From the Station Master to the Loco Pilot of…………………on…………………

Due to the loss of the Wooden Staff for the section……………to……………….you are authorized to proceed to ………………..

On arrival at ……………you must handover this authority to the Station Master on duty.

Signature........................

Station Stamp Station Master................

(vii) On receipt of the authority from the Loco Pilot, the Station Master at the base station should file the authority for record purpose as in the case of normal train record. Station Master at the base Station shall issue a fresh authority on the aforesaid prescribed form for starting a train.

(viii) If the lost wooden staff is found by the Station Master after the dispatch of a train on the written authority in manuscript, it should be again brought into use after the corresponding train has returned to the base station with written manuscript authority. If the staff is found prior to starting of a train on the written authority in manuscript, the staff may be used and the written authorities personally destroyed by the Station Master.

(ix) When a lost wooden staff is replaced by the Divisional Operating Manager it should be distinguished from the original by the word ‘Duplicate’. If the original staff is subsequently found, it may be brought into use and duplicate one returned to the Divisional office. Relevant entries to the effect must be made in the Station Diary

13.04. केवल एक गाड़ी पद्धति में दुर्घटना होने या गाड़ी के असमर्थ हो जाने पर कार्य विधिः–

(1) (क) यदि गाड़ी असमर्थ हो जाती है और उसे सहायता की आवश्यकता होती है अथवा कोई दुर्घटना हो जाने पर गाड़ी का आगे बढ़ना असम्भव हो जाता है तो, नियम 6.03 के उपबन्धों के अनुसार, गाड़ी की उस दिशा में रक्षा की जाएगी जिधर से, यदि आवश्यक है तो, सहायता प्राप्त की जा रही है।

(ख) यदि गाड़ी का गार्ड उस स्टेशन मास्टर को, जहाँ से सबसे अच्छी सहायता प्राप्त हो सकती है, उन परिस्थितियों की सूचना देगा जिनमें गाड़ी असमर्थ हुई है तथा आगे नहीं बढ़ सकती है और यदि गार्ड के लिए उस स्टेशन को जाना आवश्यक है, तो वह ड्राइवर को लिखित अनुदेश देगा कि वह उनकी वापसी तक गाड़ी को खड़ी रखें और वह उनसे लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त कर लेगा।

(2) (क) ऐसा स्टेशन मास्टर, यदि वह आधार स्टेशन का स्टेशन मास्टर नहीं है तो, आधार स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, आधार स्टेशन का स्टेशन मास्टर दूसरे इंजन को लाइन पर प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है।

(ख) इस प्रकार भेजे जाने वाले इंजन के साथ या तो असमर्थ गाड़ी का गार्ड रहेगा, जो ड्राइवर को यह बताएगा कि ऐसी असमर्थ गाड़ी कहां है और उसकी परिस्थिति क्या है या इस प्रकार भेजे जाने वाले इंजन के ड्राइवर को एक लिखित प्राधिकार दिया जाएगा जिसमें ऐसे अनुदेश होंगे जिससे असमर्थ हुई गाड़ी के स्थान तथा परिस्थितियों का ज्ञान हो सके और ऐसे अन्य विवरण भी रहेंगे जो, असमर्थ हुई गाड़ी के गार्ड के साथ न होने की दशा में, लाइन पर प्रवेश करने के लिए आवश्यक हैं।

(3) असमर्थ हुई गाड़ी का गार्ड उस लाइन के सुरक्षित और समुचित संचालन के लिए तब तक जिम्मेंदार रहेगा जब तक कि असमर्थ हुई गाड़ी वहाँ से चल नहीं देती और उसकी सहायतार्थ गया हुआ कोई अन्य इंजन आधार स्टेशन पर वापस नहीं पहुँच जाता।

(4) यदि असमर्थ हुई गाड़ी का गार्ड नहीं है तो फायरमैन या सहायक ड्राइवर या आवश्यकतानुसार, ड्राइवर इस नियम द्वारा गार्ड को सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करेगा, परन्तु यह तब जब नियम 4.20 के अनुसार इंजन को लोको पायलट दल रहित न छोड़ा जाए।

13.04. Procedure in case of accident or disablement on the One Train Only System: -

(1) (a) If the train becomes disabled and requires assistance or if an accident occurs which renders it impossible for the train to proceed, the train shall be protected in accordance with the provisions of Rule 6.03 in the direction from which assistance, if necessary, is being obtained.

(b) The Guard of the train shall convey advice of the circumstances under which the train has become disabled and is not able to proceed to the Station Master of the station from which assistance can beast be obtained, and if it is necessary for such Guard to proceed to such station, he shall instruct the Loco Pilot in writing to keep the train stationary until his return, and obtain his written acknowledgment.

(2) (a) Such Station Master, if he is not the Station Master of the base station, shall communicate this information to the Station Master of the base station. On receipt of such information, the Station Master of the base station may allow another engine to enter the line.

(b) The engine so sent shall either be accompanied by the Guard of the disabled train, who shall explain to the Loco Pilot where and under what circumstances the disabled train is situated, or the Loco Pilot of the engine so sent shall be given a written authority, containing such instructions as to where and under what circumstances the disabled train is situated and such other particulars as may be necessary to enter the line unaccompanied by the Guard of the disabled train.

(3) The Guard of the disabled train shall be responsible for the safe and proper working of the line until the disabled train has been moved and any other engine sent to the assistance of the disabled train has been returned to the base station.

(4) If there is no Guard of a disabled train, the Fireman or the Assistant Loco Pilot necessary, the Loco Pilot shall perform the duties imposed by this rule on the Guard, provided that the engine is not left unmanned in terms of Rule 4.20.